


**कार्यालय: औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अलवर**

क्रमांक- 293

दिनांक:- 30.07.2020

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अलवर मुख्यालय के कोतवाली थाना शहर अलवर के पश्चिमी क्षेत्र में आने वाले समस्त क्षेत्रों में दिनांक 30.07.2020 से दिनांक 12.08.2020 तक लॉकडाउन घोषित किये जाने के फलस्वरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक 4165 दिनांक 29.07.2020 व पूर्व परिपत्र क्रमांक 14/पीआई./2020 दिनांक 14.04.2020 के अनुसरण में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 20386-487 दिनांक 30.07.2020 के मध्य नजर कैम्प भिवाड़ी व नीमराणा सहित इस न्यायालय के कॉलेज सल्ला 02 में वर्णित पेशियों पर नियत अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में कॉलेज सल्ला 03 में वर्णित अनुसार आगामी पेशी (कॉमन) नियत की जाती है:-

(1)	(2)	(3)
क्र.सं.	नियत पेशी	आगामी पेशी (कॉमन)
1.	30 जुलाई, 2020	29 अक्टूबर 2020
2.	31 जुलाई, 2020 (कैम्प भिवाड़ी)	16 अक्टूबर 2020(कैम्प भिवाड़ी)
3.	04 अगस्त, 2020	3 नवम्बर, 2020
4.	5 अगस्त, 2020	31 अगस्त, 2020
5.	06 अगस्त, 2020	5 नवम्बर, 2020
6.	07 अगस्त, 2020 (कैम्प नीमराणा)	6 नवम्बर, 2020 (कैम्प नीमराणा)
7.	10 अगस्त, 2020	09 नवम्बर, 2020
8.	11 अगस्त, 2020	10 नवम्बर, 2020


भवदीय  
  
न्यायाधीश,  
औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय,  
अलवर-राज0।

क्रमांक : 294-300

दिनांक : 30.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अलवर/भिवाड़ी/नीमराणा।
2. नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा/ न्यायालय सि०न्या० एवं न्या०मजि० भिवाड़ी/ ग्राम न्यायालय, नीमराणा।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

भवदीय  
  
न्यायाधीश,  
औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय,  
अलवर-राज0।